संख्या-549/2017/1132/22-2-2017-17(322)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 जुलाई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुभाष पुत्र श्री रामलाल निवासी जनपद-औरैया की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16429/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0-02-05-2017) दिनांक-22-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुभाष पुत्र श्री रामलाल, निवासी-दशहरा, थाना-फफूँद, जनपद-औरैया का रहने वाला है। चबूतरे को लेकर चल रहे विवाद के कारण बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 01.06.1981 को प्रात: 06:30 बजे खलिहान से घर वापस आ रहे सुदर्शन पर तमंचे से फायर किया। सुदर्शन भागकर रामशंकर के घर में घुस गया, जहां रामसरन एवं सुदर्शन की तमंचों से गोली मारकर हत्या कर दी। सत्र परीक्षण संख्या-55/1982 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 452, 302 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटावा के आदेश दिनांक 28.02.1990 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.1991 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.04.2017 तक 24 वर्ष 08 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 32 वर्ष 10 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। सलाहकार समिति द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चबूतरे को लेकर चल रहे विवाद के कारण बन्दी ने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 01.06.1981 को प्रात: लगभग 06:30 बजे खलिहान से घर वापस आ रहे सुदर्शन पर तमंचे से फायर किया। सुदर्शन भागकर रामशंकर के घर में घुस गया, जहां रामसरन एवं सुदर्शन की तमंचों से गोली मारकर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा किये गये विरोध एवं मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत सिद्धदोष बन्दी सुभाष पुत्र श्री राम लाल को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित क्रिमिनल रिट याचिका सं0-87/2015 सुभाष बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2016 के अनुपालन तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुभाष (बन्दी संख्या-22006) पुत्र श्री राम लाल निवासी जनपद-औरैया की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-549/2017/1132(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, औरैया ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।